करौली (राज०)

17.3.25 पत्रावली पेश हुई। प्रारम्भिक की बहस सुनी गई। वादी ने बहस के दौरान T.R. प्रार्थना में यह निवेदन किया आराजी खसरा नंबर 8450, 8454, 8455, 8452, 8457 8458, 8474, 8451, 8452, 843 में वादी को काबिज माना जाये, हद पर नये काबिज, गवाह किसी चोटिल के तौर पर 4194 फरमाना गवाही हाजिर की। अपने गवाह व बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना में अंकित तथ्य सही नहीं है। अतः वादी दावा खारिज किया जावे। CCB चलाया किसी चोटी नहीं है। माना है Rajasthan RBT (5) 1998 पेश की जिसे उच्चाधिकारी के पक्षकार बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। जबकि अन्य प्रार्थना में समस्त उच्चाधिकारी को पक्षकार के तौर पर बनाया गया है। इस कारण उपर्युक्त बहस व कागज T.R. प्रार्थना के आधार पर कुलिहार का संतुलन/अंतरिम राहत मांगित नहीं होती है। इस कारण प्रार्थना खारिज किया जाता है। दोनों पक्ष अपना अपना खर्चा वहन करेंगे। अधिकार अपील है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 11:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner